फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर

न्यायालय ______________________________

जगदीश प्रसाद शर्मा बनाम संगीता अग्रवाल

मुकदमा संख्या /वर्ष : 28/2023 /20 ______

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	2/5/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित प्रार्थीगण अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र पेश की गई प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177, 188 स्वीकार किया जाता है निस्तारित किया प्रकरण से निस्तारित किया जाकर अधिक पत्रावली बाद तामील [illegible] अनुसार [illegible] [illegible] दाखिल दफ्तर हो [signature] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:35:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 28/2023
निर्णय दिनांक :02.05.2024

1. जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र स्व० श्री केसरलाल
2. लक्ष्मीनारायण शर्मा पुत्र स्व० श्री केसरलाल
3. अंजू शर्मा पुत्री स्व० श्री केसरलाल
4. मंजू शर्मा पुत्री स्व० श्री केसरलाल
5. श्रीमती चंदो देवी पत्नी स्व0 श्री केसरलाल
6. आशुतोष शर्मा पुत्र स्व० श्री विष्णुदत्त शर्मा
7. मनीष शर्मा पुत्र स्व० श्री विष्णुदत्त शर्मा
8. श्रीमती पप्पी शर्मा पत्नी स्व० श्री विष्णुदत्त शर्मा

समस्त जाति ब्राहमण निवासीगण ग्राम केश्यावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती संगीता अग्रवाल पत्नी श्री रामबाबू अग्रवाल जाति महाजन निवासी एच–55 झाकोरेश्वर मार्ग, बनीपार्क जयपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी</u>

प्रार्थीगण से पेश प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की हाल आराजी कृषि भूमि खसरा न० 352 रकबा 0.57 है०, खसरा न० 353 रकबा 0.28 है०. खसरा न0 357 रकबा 0.58 है० कुल किता 3 कुल रकबा 1.43 है० वाके ग्राम केश्यावाला पटवार हल्का मुहाना भू.अभि.नि. क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी कृषि भूमि के खसरा न0 352 के लगवा अप्रार्थी सख्या एक की आराजी कृषि भूमि खसरा न0 923/354, 926/355, 920/356 कुल किता 3 कुल रकबा 0.37 है० वाके ग्राम केश्यावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित है।उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान दिनांक 05/04/2023 ... तहसीलदार जी के आदेश क्रमांक/भू०अ०/2023/2392–95 दिनांक 17/05/2023 की पालना मे हमराह पटवारी मुहाना, वाटिका, पंवालिया के ग्राम केश्यावाला की आराजी खसरा नम्बर 352, 353, 357 के मौके पर पहुंचे। मौके पर खातेदार उपस्थित मिले। आराजी खसरा न० 358 गै० मु० चाह

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:35:47 IST
Reason: SelfAttested

से जरीब चलाकर खसरा नम्बर 357 की दक्षिणी पश्चिमी कोना कायम किया गया। तथा खसरा न० 333 गै०मु० चाह से जरीब चलाकर खसरा न० 352,353,357,354 के चौमेडा को कायम किया गया। एवं खसरा न० 357 के दक्षिणी पश्चिमी कोने का मिलान किया गया। जो कि सही पाया गया। फर्द मौका पढा सुनाकर उपस्थित मौतबिरान से हस्ताक्षर करवाये गये।अप्रार्थी सख्या एक पडौस की खातेदार है। जिसकी मेड. प्रार्थीगण की भूमि से लगती हुई है। अप्रार्थी सख्या एक व अन्य दिगर व्यक्ति प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात पर जबरन कब्जा करने की कोशिश करते रहते है तथा आये दिन प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा करते रहते है। तथा प्रार्थीगण की भूमि की मेड को तोडकर अपनी भूमि में मिलाकर उसमे अवैध रूप से कब्जा कर निमार्ण कार्य कर रहे है। जबकि उसको ऐसा करने का कोई कानूनन अधिकार नहीं है।प्रार्थीगण की भूमि की पडोसी काश्तकार अप्रार्थी सख्या एक झगडालू किश्म की महिला है तथा आये दिन सीमा पर हमेशा विवाद करती है इस कारण प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है।प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात पर सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहते है जिससे वो अपनी आराजीयात के चारो तरफ तार बाउण्डरी कर अपनी आराजीयात को सुरक्षित कर सके तथा भविष्य मे सीमाज्ञान के लिए पडौसी काश्तकार से किसी प्रकार का विवाद नही हो इसलिए सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि खसरा न0 352 रकबा 0.57 है०, खसरा न0 353 रकबा 0.28 है0, खसरा न० 357 रकबा 0.58 है० कुल किता 3 कुल रकबा 1.43 है० वाके ग्राम केश्यावाला पटवार हल्का मुहाना भू.अभि.नि.क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश जरिये पुलिस हिमदयाद के अप्रार्थी सख्या दो को फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर सुरेन्द्र जैन वकालतनामा व जवाब टी0आई0 पेश किया। पत्रावली दिनांक 13.09.2023 को पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित, अप्रार्थी संख्या 1 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु अन्तिम अवसर दिया गया।

उपस्थित उभयपक्षकारानकी पत्रावली में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:35:47 IST
Reason: SelfAttested

हमने उपस्थित उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित प्रार्थी की कृषि भूमि पर अन्य किसी दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो अपने स्तर पर टीम गठित कर अप्रार्थी संख्या 1 की उपस्थिति में प्रार्थीगण

की वाके ग्राम केश्यावाला पटवार हल्का मुहाना भू.अभि.नि.क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि खसरा न0 352 रकबा 0.57 है०, खसरा न0 353 रकबा 0.28 है0, खसरा न० 357 रकबा 0.58 है० कुल किता 3 कुल रकबा 1.43 है०की पत्थरगढी तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त फर्द मौका–रिपोर्ट आदेश दिनांक 05.04.2023 के अनुसार कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:35:47 IST
Reason: SelfAttested